प्रेस नोट दिनांक 26.10.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़

मंदिरों से मुकुट चोरी करने वाले परिवार के 04 सदस्य गिरफ्तार, चोरी के 02 मुकुट, इलेक्ट्रॉनिक कांटा एवं कैंची, घटना में प्रयुक्त एक अदद मोसाइकिल बरामद।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा मंदिरों से मुकुट चोरी करने वाले 04 अभियुक्त/ अभियुक्ता को 02 अभियोगो में गिरफ्तार किया गया, चोरी के 02 मुकुट, इलेक्ट्रॉनिक कांटा एवं कैंची, घटना में प्रयुक्त एक अदद मोसाइकिल बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण—
प्रथम घटना-
दिनांक 25.09.2026 को समय लगभग 15:00 बजे थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत बाबागंज ब्लॉक मुख्यालय के पीछे स्थित माँ भद्रकाली शक्तिपीठ मंदिर में माँ भद्रकाली की मूर्ति पर लगा लगभग 600 ग्राम चाँदी का मुकुट चोरी हो गया। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना संग्रामगढ़ पर मु0अ0सं0 182/2026 धारा 305(d) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

द्वितीय घटना-
दिनांक 22.10.2026 को समय लगभग 10:34 बजे थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम धौरेहट सराय नैनकुँवर स्थित हनुमान मंदिर में एक महिला एवं पुरुष के मंदिर परिसर में प्रवेश करने के दौरान हनुमान जी की मूर्ति पर लगा चाँदी का मुकुट चोरी हो गया। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना संग्रामगढ़ पर मु0अ0सं0 205/2026 धारा 305(d) बीएनएस बनाम अज्ञात महिला एवं अज्ञात पुरुष के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

पूर्व में जेल भेजे गए अभियुक्तों का विवरण—
जनपद रायबरेली के थाना भदोखर में मु0अ0सं0 278/2026 धारा 305(D) बीएनएस के अंतर्गत मंदिर से मुकुट चोरी के मामले में अभियुक्त रोहित पाण्डेय पुत्र गिरीश कुमार पाण्डेय एवं अभियुक्ता किरण देवी पाण्डेय पत्नी गिरीश पाण्डेय, निवासीगण नौढ़िया सरैया, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा चुका है। उक्त प्रकरण में मंदिर से हनुमान जी की मूर्ति पर लगा चाँदी का मुकुट चोरी किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में चोरी की घटनाओं के अनावरण एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी संग्रामगढ़ श्री सिद्धार्थ सिंह के नेतृत्व में थाना संग्रामगढ़ के उ0नि0 सरनाम सिंह, उ0नि0 शिवशरण, का0 बीरपाल, का0 विवेक यादव, का0 सुभाष मौर्या, का0 कुलदीप यादव, का0 आशुतोष सिंह, का0 सुयश राय, म0का0 पूजा यादव एवं म0का0 प्रिया यादव द्वारा मंदिरों से मुकुट चोरी करने के दो मामलों का

अनावरण करते हुए एक ही परिवार के 04 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 02 मुकुट, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा एवं एक कैंची बरामद की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरण-
1. रोहित पाण्डेय पुत्र गिरीश पाण्डेय उम्र 20 वर्ष,
2. गिरीश पाण्डेय पुत्र स्वर्गीय सागर प्रसाद पाण्डेय उम्र 50 वर्ष,
3. लवकुश पाण्डेय पुत्र गिरीश पाण्डेय,
4. किरण पाण्डेय पत्नी गिरीश पाण्डेय समस्त निवासीगण नौढिया सरैया थाना संग्रामगढ़ प्रतापगढ़।

घटना का विवरण एवं पूछताछ-
अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम लोग मन्दिरों में पूजा करने के बहाने भगवान की मूर्तियों से मुकुट चुरा लेते थे, जो यह मुकुट रोहित पाण्डेय से बरामद हुआ है इसको हमलोगो ने मिलकर मां भद्र काली मन्दिर बाबागंज से दिनांक 25.09.2026 को समय दिन के करीब 03 बजे चोरी किया था तथा गिरीश पाण्डेय से बरामद मुकुट को हम लोगो ने दिनांक 22.10.2026 को समय करीब 10 बजे से 11 बजे के बीच ग्राम सराय नैन कुंवर धौरेहट हनुमान मन्दिर से सब लोगों ने मिलकर चोरी किया था जिसको इसी पकड़ी गयी कैंची से काटकर हम चारो लोगो ने आठ टुकड़े कर दिये थे ताकि रखने में आसानी हो जाए और आज हम चारो लोग इन दोनो चोरी के मुकुटों को प्रतापगढ़ में बेचने जा रहे थे कि आप लोगो ने हम लोगो को पकड़ लिया एंव बरामद कैंची व इलेक्ट्रानिक तराजू के बारे में कड़ाई से पूछने पर चारो बता रहे हैं कि साहब इसी कैंची से हमलोग चोरी किये मुकुट के टुकड़े करते थे जिससे रखने में आसानी हो जाती थी और इलेक्ट्रानिक तराजू से चोरी किये हुए इन मुकुटो को बेचने से पहले बजन करने में प्रयोग करते थे।

बरामदगी का विवरण-
मां भद्रकाली मंदिर, बाबागंज से चोरी हुआ 01 सफेद धातु का मुकुट।
हनुमान मंदिर, ग्राम सराय नैन कुंवर धौरेहट से चोरी हुए मुकुट के 08 टुकड़े।
चोरी के मुकुट काटने में प्रयुक्त 01 अदद कैंची।
चोरी के मुकुटों का वजन करने में प्रयुक्त 01 अदद छोटा इलेक्ट्रॉनिक कांटा।
घटना में प्रयुक्त एक अदद मोसाइकिल बरामद एवं 02 बैग।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 सरनाम सिंह, उ0नि0 शिवशरण, का0 बीरपाल, का0 विवेक यादव, का0 सुभाष मौर्या, का0 कुलदीप यादव, का0 आशुतोष सिंह, का0 सुयश राय, म0का0 पूजा यादव एवं म0का0 प्रिया यादव, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।

➡ दोनों अभियोगों में बरामदगी एवं गिरफ्तारी के संबंध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा मारपीट में हुई मृत्यु के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तार, आलाकत्ल बांस का डंडा बरामद।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री प्रदीप सिंह के पर्यवेक्षण थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा मारपीट के दौरान हुई मृत्यु के मामले में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बांस का डंडा बरामद किया गया।

घटना का विवरण- दिनांक 15.10.2026 को ग्राम बाभनपुर में पुराने विवाद को लेकर इन्द्रभान पटेल एवं उसके परिवार के लोगों द्वारा पड़ोसी दयाशंकर वर्मा व उनके परिवार के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की गई थी, जिसमें आई चोटों के कारण दयाशंकर वर्मा की मृत्यु हो गई थी। उक्त प्रकरण में थाना आसपुर देवसरा पर मु0अ0सं0 274/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/117(2)/352/351(3)/109(1)/103(1) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी का विवरण- दिनांक 26.10.2026 को थानाध्यक्ष राकेश चौरसिया मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर खटखटवा पुल के पास से मुकदमे में वांछित अभियुक्त इन्द्रभान पटेल पुत्र रामआसरे पटेल निवासी ग्राम बाभनपुर, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 36 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने घटना में प्रयुक्त बांस का डंडा अपने घर के पास तालाब के किनारे अरहर के खेत की मेड़ पर घास में छिपाकर रखना बताया। अभियुक्त की निशानदेही पर उक्त डंडा बरामद कर विधिक प्रक्रिया के अनुसार पुलिस कब्जे में लेकर सील किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
इन्द्रभान पटेल पुत्र रामआसरे पटेल निवासी ग्राम बाभनपुर, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 36 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-
घटना में प्रयुक्त 01 अदद बांस का डंडा।

पुलिस टीम-
थानाध्यक्ष राकेश चौरसिया, उ0नि0 सचिन कुमार पटेल, का0 अरविन्द यादव, का0 शिवम तिवारी एवं म0आ0 अन्जू, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।